: :न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला—झालावाड़ (राज.): :

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्र.सं.	:	958/2023
सीआईएस नंबर	:	**461/2015**
सीएनआर नंबर	:	**RJJW08-00011-2015**

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला—झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

1. ज्ञानसिंह पुत्र रतनलाल उम्र 41 साल निवासी सुलीपुरी पुलिस थाना भालता जिला झालावाड (राज.)

अभियुक्त.....

अपराध अन्तर्गत धारा 435 भा.दं.सं.

उपस्थितः—

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री जुझारसिंह गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05/04/14 को श्रीमती भंवरीबाई पत्नी चन्दालाल निवासी सुलीपुरी थाना भालता ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03/04/14 को वह तथा उसका पति चन्दालाल रामगन्ज मण्डी उसके लडके भैरूलाल से मिलने गये थे। उसके घर पर उसकी लडकी संगीता बाई और दो लडके कन्हीराम उम्र 13 साल तथा विष्णु उम्र 9 साल तथा उसका ससुर श्री हीरालाल थे। कल दिनांक 04/04/2014 को सुबह उसकी लडकी संगीता बाई ने घर से फोन करके बताया कि कल गुरूवार के दिन दिनांक 03/04/14 को उनके गांव का ज्ञानसिंह दिन में घर के पीछे पडे हुये घांस व सुखला को दो बार देखकर गया था इसलिये शक हो जाने से वह गुरूवार की रात्रि में सुखले के पास सो गये थे। वह तथा उसके दोनों भाई घर के अन्दर सो रहे थे तभी रात्रि के 3 बजे करीब हीरा लाल चिल्लाये कि ज्ञानसिंह अपना घांस सुखला जला रहा हैं। इस पर वह तथा दोनों भाई कन्हीराम व विष्णु ने बाहर निकल कर देखा तो ज्ञानसिंह घांस के चारों तरफ तेल डालकर माचिस से आग लगा दी। फिर उन्होंने जलने के उजाले में ज्ञानसिंह को देखा। वह आग लगाकर भाग गया। उसका एक ट्रोली करीब घांस सुखला जल गया था। उसके फोन पर यह बात बताने पर वह तथा उसका पति चन्दा लाल दोनों कल 04/04/14 को घर पर आ गये जहां सुखला जला मिला। उन दोनों पति पत्नि ने ज्ञानसिंह से पुछा तो उसने कहा कि तुमने हमारे धनिये को नुकसान करके 60000/—रूपये नहीं दिए है इसलिये आग लगाकर नुकसान किया हैं। .....इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 69/2014 अन्तर्गत धारा 435 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त ज्ञानसिंह के विरूद्ध धारा 435 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में दिनांक 13–08–2015 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

3. अभियुक्त ज्ञानसिंह के विरूद्ध धारा 435 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम
पी.डब्ल्यू–1	चंदालाल
पी.डब्ल्यू–2	भंवरीबाई
पी.डब्ल्यू–3	कन्हीराम
पी.डब्ल्यू–4	अर्जुनसिंह
पी.डब्ल्यू–5	प्रहलाद

5. **अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची**

अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	लिखित रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द नक्शामौका
3.	प्रदर्श पी 4	चाक एफआईआर

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

7. बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)
निल	निल	निल

8. बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी3	पुलिस बयान चन्दालाल
2	प्रदर्श पी5	पुलिस बयान भंवरीबाई
3	प्रदर्श पी6	पुलिस बयान कन्हैयालाल

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11. बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 3–04–2014 को रात्रि 3 बजे के लगभग ग्राम मौजा सुलीपुरी थाना भालता पर फरियादिया भंवरीबाई के घर के पीछे पडे हुए घास व सुखला में आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से आग लगाकर रिष्टि कारित की?

2– यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण का मुख्य साक्षी स्वयं फरियादिया भंवरीबाई पीड–02 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब दस साल पहले की बात है। जहां उनके पशु बंधते है वहां पर उसका पति चंदालाल सोने गया था। जहां सुखले पर ज्ञानचंद के जानवर चर रहे थे जिन्हें उसके पति ने भगाया। देव महाराज का स्थान है जहां से ज्ञानसिंह भाला लेकर आया और उसके पति व गवाह के ज्ञानसिंह ने मारी जिससे वह बेहोश हो गए। उक्त घटना की थाने पर रिपोर्ट करवा दी थी जो प्रदर्श पी1 है जिस पर वाय स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है जिसकी चाक एफ.आइ.आई प्रदर्श पी 4 है जिस पर एक्स थान पर उसका अंगूठा निशानी है। गवाह को न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग सुना गलत लिखा होना बताया। इस सुझाव को स्वीकार किया कि ज्ञानचंद ने उनके सुखले में आग लगा दी थी तथा जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में करवायी थी। आग लगाते हुए उसने देखा था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनका ज्ञानचंद से राजीनामा हो गया है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि प्रदर्श पी1 मे क्या लिखा था उसे पढकर नहीं सुनाया गया ऐसा उसने नहीं लिखाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि ज्ञानचंद को उसने आग लगाते हुए नहीं देखा। उनका राजीनामा हो चुका है वह काई कार्यवाही नहीं चाहती। ज्ञानसिंह ने उसको कोई नुकसान कारित नहीं किया।

13. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 1 चंदालाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब नौ दस साल पहले की बात है। वह तथा उसकी पत्नि भंवरीबाई दोनो उसके लड़के भैरूलाल से मिलने रामगंजमण्डी गए थे। घर पर उसकी लडकी संगीता व लडके कन्हीराम तथा विष्णु थे। संगीता ने उसकी पत्नी भंवरी बाई को बताया कि अपने गांव के ज्ञानसिंह से दिन के दो बजे करीब कहासुनी व गाली गलोच हो गई थी फिर वह और उसकी पत्नी उनके गांव वापस आए तो उसकी लडकी ने ज्ञानसिंह के साथ लडाई झगडे व गाली गलोच वाली बात बताई थी। उनके बाडे में किसने आग लगाई इसके बारे में उसे कोई जानकारी नही है। उसके बाडे में आग लगाते हुए किसी ने नहीं देखा। उसने और उसकी पत्नी ने जाकर थाने में ज्ञानसिंह के साथ हुई लडाई की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा है। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था

जिस पर भी एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है। गवाह को न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित किया गया।

दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने और उसकी पत्नी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करावाई थी। इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 04.04.2014 को उसकी लडकी संगीता ने फोन करके बताया हो कि दिनांक 03.04.2014 को ज्ञानसिंह बाडे में पडे हुए घास और सुखले को दो बार देखकर गया था तथा दिनांक 03.04.2014 को रात्रि के 3 बजे करीब उसके पिताजी हीरालाल चिल्लाए कि ज्ञानसिंह अपना घास और सुखला जला रहा है। इस सुझाव से इन्कार किया कि संगीता ने बताया हो कि वह और कन्हीराम तथा विष्णु ने बाहर निकल कर देखा तों ज्ञानसिंह ने सुखले में चारो तरफ से तेल डालकर आग लगा दी तथा संगीता ने यह भी बताया हो कि उन्होंने उजाले में ज्ञानसिंह को देखा हो और ज्ञानसिंह ही आग लगाकर भागा हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने और और उसकी पत्नी ने ज्ञानसिंह से पूछा तो उसने कहा कि तुमने मेरे धनिये के नुकसान के 60 हजार रूपये नही दिए इसलिए मेने आग लगाकर तुम्हारा नुकसान किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया गवाह ने सुनकर कहा कि ऐसे बयान उसने नही लिखवाये। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का ए से बी भाग गलत है उसने नहीं लिखवाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने और उसकी पत्नी ने घास और सुखले में आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि हाजिर अदालत मुलजिम ज्ञानसिंह ने ही उसके घर के पीछे पडे हुए घास ओर सुखले में आग लगाई हो।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि ज्ञानसिंह से उनकी कहासुनी हो गई थी इसी बात की रिपोर्ट करवाई थी। ज्ञानसिंह ने उनका कोई नुकसान नही किया। उसने व उसकी पत्नी ने ज्ञानसिंह को नुकसान करते हुए नही देखा तथा ना ही आग लगाते हुए देखा।

14. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 3 कन्हीराम उर्फ कन्हैयालाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब दस साल पहले की बात है जहां उनके पशु बंधतें है उस जगह उसके पिताजी सोने गये थे जहां पर उनके सुखले को ज्ञानचंद के जानवर चर रहे थे जिन्हे उसके पिता ने भगाया। देव महाराज के स्थान है जहां से ज्ञानसिंह भाला लेकर आया और उसके पिता तथा माताजी के मारी जिससे वह बेहोश हो गए। उक्त घटना की थाने पर रिपोर्ट करवा दी थी। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी6 का ए से बी भाग सुना गलत लिखा होना बताया गया।इस सुझाव को स्वीकार किया कि ज्ञानचंद ने उनके सुखले में आग लगा दी थी जिसकी रिपोर्ट उन्होंने करवायी थी। आग लगाते हुए उसने देख था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनका ज्ञानचंद से राजीनामा हो गया है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि ज्ञानचंद को उसने आग लगाते नहीं देखा। उनका राजीनामा हो चुका है तथा वह काई कार्यवाही नहीं चाहता है । ज्ञानसिंह ने उनका कोई नुकसान कारित नहीं किया।

15. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 5 प्रहलाद ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 05.04.2014 को पुलिस थाना भालता में ए.एस.आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी श्री अर्जुनसिंह ने फरियादिया भंवरीबाई की तहरीर रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 69/2014 धारा 435 भादस में दर्ज कर पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे दी थी। दौरानें अनुसंधान मैनें बयान श्रीमति भंवरीबाई, चंदालाल, संगीता बाई, हीरालाल, कन्हैयालाल, विष्णु उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी2 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी संगीता के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त ज्ञानसिंह के विरूद्ध धारा 435 भादस का अपराध प्रमाणित पाया था। बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिन्होंने बाद कता चार्ज शीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि नक्शा मौका घटना के दिन ही बनाया गया था। घटनास्थल के आस–पास किन–किनके खेत है, आज वह यह नही बता सकता लेकिन फर्द देखकर बता सकता है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि आस–पास के खेत वालों को स्वतंत्र गवाह नही बनाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल खुला स्थान है जहां पर गेट लगा हुआ नही था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर आम आदमी आसानी से आ जा सकते थे क्योंकि वहां पर आम रास्ता निकला हुआ है। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने गवाहान् के कहेनुसार बयान लेखबद्ध नहीं किए हो और मुलजिम को फंसाने के लिए झूठी तफ्तीश की हो।

16. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 4 अर्जुनसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 05.04.2014 को पुलिस थाना भालता में

ए.एस.आई के पर कार्यरत था। उस दिन वह इंचार्ज थानाधिकारी भी था। उस दिन फरियादी चंदालाल व भवंरीबाई ने एक तहरीर रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की। उक्त रिपोर्ट से मामला धारा 435 भादस का बनना पाये जाने पर मुकदमा नम्बर 69/2014 दर्ज कर पत्रावली अनुसंधान हेतु प्रहलाद सिंह ए.एस.आई को सुपुर्दगी की थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान पत्रावली अभियुक्त ज्ञानसिंह पुत्र रतनलाल निवासी सूलीपुरी थाना भालता के विरूद्ध धारा 435 भादस का अपराध प्रमाणित मानते हुए अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसने अभियुक्त ज्ञानसिंह के विरूद्ध धारा 435 भादस में बाद कता चार्ज शीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने मुलजिम के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करी हो और मुलजिम के खिलाफ झूठी कहानी बना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया हो।

17. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादिया भंवरीबाई ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में यह अंकित करवाया है कि दिनांक 3–04–2014 को वह तथा उसका पति चन्दालाल दोनों रामगंज मण्डी गए थे तक उसकी लडकी संगीता का फोन आया जिसने बताया कि दिनांक 3–04–2014 को ज्ञानसिंह उनके घर के पीछे पडे हुए घास व सुखले को देखकर गया था तब रात्रि करीब 3 बजे हीरालाल चिल्लाया कि ज्ञानसिंह घास व सुखला जला रहा है। वह घास व सुखले के चारों तरफ तेल डालकर आग लगा रहा था जिसके उजाले में उन्होंने ज्ञानसिंह को देखा था। इस संबंध में प्रकरण में फरियादिया भंवरीलाल न्यायालय के समक्ष पीड–2 के रूप में परीक्षित हुई है जो अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करती है कि उनके सुखले पर ज्ञानसिंह के जानवर चर रहे थे जिन्हें उसके पति चन्दालाल ने भगाया तो ज्ञानसिंह देव महाराज के स्थान से भाला लेकर आया और उसके व उसके पति के साथ मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गए थे। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुई है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग गलत लिखे होना बताया गया। गवाह ने यह भी कथन किया कि ज्ञानसिंह ने उनके सुखले में आग लगा दी थी जिसकी उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसने ज्ञानसिंह को आग लगाते हुए नही देखा तथा उसने कोई नुकसान कारित नही किया है। ऐसे में उक्त गवाह के बयानों से यह जाहिर हो रहा है कि फरियादिया ने प्रस्तुत की गई लिखित

रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में ज्ञानसिंह द्वारा उसके घासं व सुखले में आग लगाने व उनके भाले से मारे जाने बाबत कथन किये है वही फरियादिया ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि ज्ञानसिंह को उसने आग लगाते हुए नही देखा है तथा उसने कोई नुकसान कारित नही किया है। ऐसे में उक्त गवाह के बयानों में भारी विरोधाभास प्रकट होता है। इस संबंध में गवाह चंदालाल जो न्यायालय के समक्ष पीड–1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसकी लडकी संगीता ने बताया कि ज्ञानसिंह से दिन के दो बजे करीब कहासुनी व गाली गलौच हो गई थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसके बाडे में किसने आग लगाई इसके बारे में उसे कोई जानकारी नही है। उसने बाडे में आग लगाते हुए किसी को नही देखा। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि ज्ञानसिंह से उनकी कहासुनी हो गई थी इसी बात की उन्होने रिपोर्ट करवायी थी। ज्ञानसिंह ने उनका कोई नुकसान नही किया। उन्होंने ज्ञानसिंह को नुकसान करते हुए तथा आग लगाते नही नही देखा। ऐसे में गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण व जिरह में ज्ञानसिंह द्वारा आग लगाने व उन्हें नुकसान करने बाबत कथन नही किये है। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया कि ज्ञानसिंह से उनकी कहासुनी हो गई थी जिसकी उन्होंने रिपोर्ट करवायी थी। उन्होंने ज्ञानसिंह को आग लगाते हुए तथा नुकसान करते हुए नही देखा था। गवाह पीड–3 कन्हीराम है जो जिरह में कथन करता है कि उसने ज्ञानचंद को आग लगाते हुए नही देखा था उसने उनका कोई नुकसान नही किया था।

18. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि स्वंय फरियादिया भंवरीबाई व अन्य गवाहन चंदालाल व कन्हीराम द्वारा अभियुक्त ज्ञानसिंह को आग लगाते हुए नही देखने बाबत कथन करते है है। फरियादिया भंवरीबाई पीड–2, पीड–1 चंदालाल व पीड–3 कन्हीराम द्वारा ऐसे कोई बयान नही दिए गए जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्त ज्ञानसिंह द्वारा ही फरियादिया के घर के पीछे पडे घास व सुखले में आग लगाकर नुकसान कारित किया हो। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार के तथ्य एवं कथन अंकित नही है।

19. विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के संबंध में संदेह से परे मामला साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री एवं समस्त गवाहन के बयानों के अवलोकन सें अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 3–04–2014 को रात्रि 3 बजे के लगभग ग्राम मौजा सुलीपुरी थाना

भालता पर फरियादिया भंवरीबाई के घर के पीछे पडे हुए घास व सुखले में आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से आग लगाकर रिष्टि कारित की ।

20. अतः अभियुक्त ज्ञानसिंह पुत्र रतनलाल उम्र 41 साल निवासी सुलीपुरी पुलिस थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 435 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

21. अतः **अभियुक्त ज्ञानसिंह पुत्र रतनलाल उम्र 41 साल निवासी सुलीपुरी पुलिस थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 435 भा.द.सं. के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।**

22. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन में उपस्थित रहने के लिए **धारा 437 ए दं.प्र.सं के तहत 10,000/–रुपये की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका** न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

23. निर्णय आज दिनांक 29–04–2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

साक्षी चावला

स्टेनो ग्रेड–III

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।